

प्रारूप-2

(देखिए नियम 8ए का उप-नियम (4))

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा भीलवाड़ा

संख्यांक : जिशिअभी / प्राशि / मान्यता / 2016-17 / PS- 2.1

दिनांक : 12-04-2017

प्रबन्धक,

महिला आश्रम, भीलवाड़ा

जिला - भीलवाड़ा

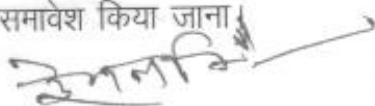
विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा निर्धारित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं श्री शिवचरण माथुर इंटरनेशनल स्कूल, पथिक नगर, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (विद्यालय का नाम पते सहित) को वर्ष 2016-17 से कक्षा I से कक्षा V तक अंग्रेजी माध्यम हेतु मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन है:-

- 01-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 02-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 03-विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 04-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 05-सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 06-विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- 07-विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-

- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।



क.पू.उ.

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

08- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
09- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

10- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखे।
अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षा कमरों की संख्या

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुंच

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

11-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

12-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13-विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14-विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15-विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और इसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) भीलवाडा को भेजी जानी चाहिए।

16-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **PS- 21** दिनांक **12-04-2017** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17-विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) भीलवाडा द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

18-सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

19-संलग्न उपाबंध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा भीलवाडा